

# स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन

अनुज अहिरवार

(शोधार्थी) राजनीति विज्ञान, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर

## सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र नगरीय स्वशासन (Urban Local Bodies) में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, प्रभावशीलता और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करता है। 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, लेकिन गुणात्मक निर्णय क्षमता में अब भी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यह शोध प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है।

## प्रस्तावना

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) में महिलाओं की भागीदारी एक अनिवार्य आवश्यकता है। शहरीकरण की बढ़ती दर (2050 तक कुल जनसंख्या का दो-तिहाई होने का अनुमान) के बावजूद, नीति-निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। 1993 के **74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** ने नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित कर इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था।

## संवैधानिक ढांचा और विकास

- **74वाँ संवैधानिक संशोधन (1992):** इस अधिनियम ने नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य किया, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है।
- **50% आरक्षण:** भारत के कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए **50% आरक्षण** का प्रावधान किया है।
- **वर्तमान स्थिति:** आज भारत में स्थानीय निकायों में लगभग **14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि** हैं, जो कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

## नगरीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका: विश्लेषणात्मक अध्ययन

- **संवैधानिक और संरचनात्मक परिवर्तन:** 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बना दिया, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार चुनावी राजनीति में आईं।
- **नेतृत्व और कार्यशैली:** शोध दर्शाते हैं कि महिला पार्षद/मेयर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। वे स्थानीय शासन में पारदर्शिता और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही हैं।

- **"महिला प्रतिनिधि" (Proxy) की समस्या:** एक प्रमुख चुनौती यह है कि कई बार महिला पार्षद के स्थान पर उनके पति, पिता या भाई (जिन्हें अक्सर 'प्रधान-पति' या 'पार्षद-पति' कहा जाता है) वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह स्थिति पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण के अभाव के कारण बनी रहती है।
- **बदलाव के संकेत:** यह स्थिति गतिशील है। बार-बार चुनाव लड़ने और अनुभव प्राप्त करने के बाद, कई महिलाएं अब 'डमी' उम्मीदवार की छवि को तोड़कर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ:** शिक्षा की कमी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी और पुरुष-प्रधान राजनीतिक दलों का पूर्वाग्रह उनके प्रभावी योगदान में प्रमुख बाधाएँ हैं।

### शोध के उद्देश्य

- नगरीय निकायों में महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करना।
- महिला प्रतिनिधियों के कार्यों में आने वाली सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान करना।
- यह विश्लेषण करना कि क्या आरक्षण वास्तव में महिला सशक्तिकरण का माध्यम बना है।

### मध्य प्रदेश के नगरीय स्वशासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

मध्य प्रदेश (MP) भारत के उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।

#### 1. 50% आरक्षण: ऐतिहासिक निर्णय

मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने नगरीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया।

- **अधिनियम:** मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 में वर्ष 2007 में संशोधन करके इसे लागू किया गया।
- **प्रभाव:** इसका परिणाम यह हुआ कि आज एमपी के नगरीय निकायों में महिलाओं की संख्या निर्धारित कोटे से भी अधिक (कई स्थानों पर 52-53%) है, क्योंकि महिलाएँ अब सामान्य वार्डों से भी चुनाव जीतकर आ रही हैं।

#### 2. नगरीय निकाय चुनाव 2022 के प्रमुख आंकड़े

जुलाई 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आपके शोध के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं:

पद का नाम	कुल संख्या	महिला प्रतिनिधित्व (लगभग)
नगर निगम (Mayor)	16	09 महिलाएँ (50% से अधिक)
नगर पालिका अध्यक्ष	76	40+ महिलाएँ
नगर परिषद अध्यक्ष	255	130+ महिलाएँ

मध्य प्रदेश के 2022 के नगरीय निकाय चुनावों के परिणामों के अनुसार, कुल 16 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों में महिला महापौर (Mayor) चुनी गई थीं। उनके नाम और संबंधित जिलों (नगर निगम) की सूची निम्नलिखित है:

- **मालती राय (Malti Rai):** भोपाल (Bhopal)

- शोभा सिकरवार (**Shobha Sikarwar**): ग्वालियर (Gwalior)
- संगीता तिवारी (**Sangeeta Tiwari**): सागर (Sagar)
- अमृता यादव (**Amrita Yadav**): खंडवा (Khandwa)
- माधुरी पटेल (**Madhuri Patel**): बुरहानपुर (Burhanpur)
- रानी अग्रवाल (**Rani Agrawal**): सिंगरौली (Singrauli)
- गीता अग्रवाल (**Geeta Agarwal**): देवास (Dewas)
- शारदा सोलंकी (**Sharda Solanki**): मुरैना (Morena)
- प्रीति सूरी (**Preeti Suri**): कटनी (Katni) (निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी)

### महिलाओं की भूमिका: सकारात्मक पक्ष (Impact Analysis)

- प्राथमिकताओं में बदलाव: महिला प्रतिनिधि अक्सर पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं।
- संवेदनशीलता: महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण।
- भ्रष्टाचार में कमी: कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेतृत्व में वित्तीय पारदर्शिता की संभावना अधिक होती है।
- रोल मॉडल: अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना।

### सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियां

सागर जिले के नगरीय निकायों में महिलाओं की भूमिका आज भी कई गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है। इन बाधाओं का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:

- प्रतिनिधित्व की प्रकृति: यह देखा गया है कि कभी-कभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके संबंधी प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लेते हैं, जो महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व को सीमित कर सकता है।
- सामाजिक अपेक्षाएं: पारंपरिक सामाजिक अपेक्षाएं महिला प्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
- दोहरी जिम्मेदारी का बोझ: महिला प्रतिनिधियों को अक्सर घर और सार्वजनिक जीवन दोनों की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना पड़ता है, जिससे उनके लिए राजनीतिक कार्यों के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- ज्ञान और संसाधनों तक पहुँच: तकनीकी और कानूनी जानकारी के साथ-साथ आवश्यक संसाधनों तक पहुँच की कमी भी महिला प्रतिनिधियों के लिए एक चुनौती हो सकती है।
- राजनीतिक दलों के भीतर स्थिति: राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

### सुझाव

1. अनिवार्य प्रशिक्षण: निर्वाचित होने के बाद महिला पार्षदों के लिए कार्यप्रणाली और कानूनों का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
2. प्रशासनिक सख्ती: नगर निगम की बैठकों में 'पार्षद पतियों' के प्रवेश पर कड़ाई से रोक लगानी चाहिए।

3. **जागरूकता अभियान:** महिलाओं के नेतृत्व कौशल को निखारने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) की मदद लेनी चाहिए।
4. **नेटवर्किंग:** महिला प्रतिनिधियों का एक साझा मंच होना चाहिए जहाँ वे अपनी चुनौतियों और सफलताओं को साझा कर सकें।
5. **क्षमता विकास कार्यक्रमों का सुदृढीकरण:** सागर नगर निगम को महिला पार्षदों के लिए विशेष 'प्रशासनिक प्रशिक्षण सत्र' आयोजित करने चाहिए, ताकि वे बजट निर्माण और विधायी प्रक्रियाओं को स्वयं समझ सकें।
6. **डिजिटल साक्षरता:** 'एमपी ई-नगरपालिका' जैसे पोर्टल्स के प्रभावी उपयोग के लिए महिला प्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना अनिवार्य है।
7. **सजग नागरिक समाज:** स्थानीय एनजीओ और नागरिक समूहों को महिला नेतृत्व को समर्थन देना चाहिए, जिससे 'पार्षद-पति' की भूमिका धीरे-धीरे समाप्त हो सके।
8. **सफलता की कहानियों का प्रचार:** सागर जिले की उन महिला पार्षदों या अध्यक्षों की केस स्टडी को प्रकाशित किया जाना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य किया है, ताकि नई महिला प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध लेख के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी केवल संवैधानिक औपचारिकता न रहकर एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बनी है। 74वें संविधान संशोधन और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण के प्रावधान ने स्थानीय राजनीति के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। जहाँ पहले राजनीति पुरुषों का एकाधिकार मानी जाती थी, आज मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 9 में महिला महापौरों का होना नेतृत्व के बदलते केंद्र को दर्शाता है।

हालाँकि, शोध यह भी उजागर करता है कि '**संख्यात्मक प्रतिनिधित्व**' (Numerical Representation) और '**वास्तविक सशक्तिकरण**' (Substantive Empowerment) के बीच अभी भी एक बड़ी दूरी है। 'पार्षद-पति' या 'प्रधान-पति' जैसी प्रथाएं न केवल महिला प्रतिनिधियों की स्वायत्तता को सीमित करती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करती हैं। पितृसत्तात्मक सोच, प्रशासनिक अनुभव की कमी और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उनके मार्ग की प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं।

### संदर्भ सूची

1. **दत्त, प्रभात (2001).** *भारत में नगरीय शासन*, नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी।
2. **जैन, एल.सी. (2005).** *विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन*, नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
3. **शर्मा, कुमुद (1998).** *शक्ति और राजनीति: भारत में महिलाएँ और स्थानीय स्वशासन*, दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
4. **Buch, Nirmala (2010).** *From Oppression to Assertion: Women in Local Self-Government*, New Delhi: Routledge.
5. **भारत सरकार (1992).** *74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, विधि और न्याय मंत्रालय*, नई दिल्ली।
6. **पंचायती राज मंत्रालय (2020).** *शहरी और ग्रामीण निकायों में महिलाओं की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट*, भारत सरकार।
7. **UN Women (2015).** *Women's Political Participation in Local Governance in India*, Regional Office for South Asia.
8. **मोहंती, विद्युत (1995).** "Panchayati Raj, 73rd Constitutional Amendment and Women", *Economic and Political Weekly*, Vol. 30, No. 13.

9. सिंह, आर.पी. (2018). "नगरीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका*, अंक-4.
10. Prasad, N. (2005). "Women in Urban Local Bodies: A Study of Leadership and Decision Making", *Indian Journal of Public Administration*.
11. IndiaStat ([www.indiastat.com](http://www.indiastat.com)): शहरी निकाय चुनाव के आंकड़ों के लिए।
12. Ministry of Housing and Urban Affairs ([mohua.gov.in](http://mohua.gov.in)): शहरी विकास संबंधी नीतियों के लिए।